न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या 112/2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025/167

1. धनराज आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा
2. देवीशंकर आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा
3. जगदीश आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा
4. नन्दकिशोर आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा
   निवासीगगण ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. तुलसा पुत्री नारायण जाति मीना निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी राजनगर तहसील लाडपुरा
2. मांगी बाई पुत्री नारायण (पत्नी भंवरलाल) जाति मीना निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी ग्राम विजयनगर तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी
3. रोडी बाई पुत्री नारायण (पत्नी नन्दकिशोर जी) जाति मीना निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी ग्राम सिंहपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व नामान्तरकरण सं. दिनांक 6.12.2025 तहसीलदार लाडपुरा कोटा

उस्थिति
1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश नागर, कुंजबिहारी नागर, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1 से 3

निर्णय

दिनांक—24.03.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा में कुल खसरा 5 की रकबा 3.62 हे0 खातेदारी से अपीलांट की मृतक माता रामनाथी बाई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता नारायण पुत्र भंवरिया के नाम दर्ज थी एवं खसरा नं0 326 की 0.28 हे0, खसरा नं0 488/325 रकबा 0.12 हे0 किता—2 रकबा 0.40 हे0 गैर खातेदारी से नारायण जी के नाम दर्ज थी । नारायण के फोत होने पर वर्णित भूमि का नामान्तरकरण 65 दिनांक 28.5.1993 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 तीनों पुत्रियों के एवं मु0 भूली बेवा नारायण के पक्ष में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया ।
2. वकील अपीलान्ट ने तहसीलदार लाडपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 28.05.1993 की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 20.11.2026 को धारा 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि पटवारी हल्का ने समुचित रूप से विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही तथा वारिसान के संबंध में मजमे आम में जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने शिविर मांदलिया में उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो अपीलांट्स के हितों के विरूद्व होने एवं इनीशियों वॉईड होने से निरस्तनीय है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की जरिये सम्मन तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से ओमप्रकाश नागर, कुंजबिहारी नागर का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने अपीलांट्स की मृतक माता रामनाथी बाई एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 के पिता श्री नारायण पुत्र भंवरिया जी के खातेदारी में दर्ज ग्राम जोधपुरा की आराजी किता 5 की रकबा 3.62 हे0 एवं गैर खातेदारी दर्ज आराजी किता 2 रकबा 0.40 हे0 भूमि का नामान्तरकरण अवैध एवं गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के एवं मु0 भूली बेवा नारायण के पक्ष में तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जैर अपील अपीलांट्स को सूचना दिये बिना ही तथा उन्हें तलब कर उनका पक्ष सुने बिना ही उनकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट्स के नाना एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता नारायण पुत्र भंवरिया के ग्राम जोधपुरा की उक्त आराजी के अतिरिक्त ग्राम मन्दरगढ तहसील लाडपुरा में उनके खाते की आराजी किता 4 रकबा 2.17 हे0 तथा किता–3 खसरे की रकबा 6.42 हे0 आराजी स्थित है जिसका नामान्तरकरण संख्या 392 विधि पूर्वक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1लगायत 3 के पक्ष में तस्दीक हुआ है जिसमें अपीलांट मृतक खातेदार के स्थान पर बतौर विधिक वारिसान के रूप मे निहित हिस्से अनुसार रेस्पोडेन्ट के साथ दर्ज रेकार्ड है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि पूर्णतया प्रमाणित है कि अपीलांट्स मृतक नारायण जी के विधिक वारिसान है तथा उनका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के साथ साथ ग्राम जोधपुरा की उक्त आराजी में हक एवं अधिकार निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्ड रूल्स) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर उत्तराधिकार एवं वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । अपीलांट्स मृतक खातेदार नारायण जी की मृतक पुत्री रामनाथी बाई जी के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है । अपीलांट्स का उक्त आराजी में हित निहित है । अपीलांट्स हुक्म जैर अपील से एग्रीवड होने के कारण यह अपील प्रस्तुत कर रहे है । अतः अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमाई जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाने की कृपा करें । अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जैर अपील अपीलांट्स को सूचना दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में पारित किया है । अपीलांट्स को हुक्म जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.10.2025 को रेस्पो0 द्वारा मौके पर आराजी पर आकर अपीलांट्स का उक्त आराजी में नाम नहीं होने तथा उक्त आराजी को चान करने की धमकी देने पर अपीलांट्स द्वारा पटवारी हल्का से इस बाबत जानकारी लेने पर हुई । जिसकी नकल का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 10.11.2025 को नकल प्राप्त होने पर बिना विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत की है जो प्रथम जानकारी की दिनांक एवं आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने की दिनांक से उक्त अवधि मुजरा करने पर अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 28.5.1993 ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट्स के नाना मृतक नारायण जी की उक्त वर्णित आराजी उत्तराधिकार के आधार पर अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण दर्ज फरमाये जाने के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमावें । वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में एवं अपील के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये है–

- RRT2018(1) page 186 (HC)
- RRT2024 (2) page 1240
- RRT2002(1)page 257
- RRD 1992 page 17
- RRT 2024(1) page179
- RRT 2013 (2) page 766
- RRT 2012 (2) page 850

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 के पिता श्री नारायण पुत्र भंवरिया जी के खातेदारी में दर्ज आराजी ग्राम जोधपुरा एवं ग्राम मन्दरगढ में स्थित है । रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 के पिता नारायण जी की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण ग्राम जोधपुरा में दिनांक 28.5.1993 को नामान्तरकरण 65 रेस्पोडेन्ट मांगी बाई, रोडी बाई, तुलसा पुत्री नारायण जी के कोई पुत्र नहीं होने से सेवा सुश्रुषा एवं देखभाल तीनों पुत्रियां तुलसा, मांगी व रोडी के द्वारा की गयी थी । नारायण जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही पत्नी भूली व तीनों पुत्रियों के नाम

फोती नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र कैम्प मांदलिया ग्राम पंचायत में दिया गया था । उक्त घोषणा पत्र के आधार पर व ग्राम वासियान के बयान व अपीलान्ट की सहमति पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था । अपीलान्ट के द्वारा कभी भी ग्राम जोधपुरा में निवास नहीं किया, अपीलान्ट ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा में निवास करते है। इस कारण अपीलान्ट का जोधपुरा की आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । केवल मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा आराजी पर कब्जा होना व नामान्तरकरण की जानकारी 2025 में होना आलेखित किया गया है । नारायण जी का फोती नामान्तरकरण नम्बर 65 दिनांक 28.5.1993 में तस्दीक किया गया था, उस समय भी अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी थी और उसके बाद भूली बाई का फोती नामान्तरकरण नम्बर 147 दिनांक 22.11.2021 को तस्दीक किया गया था, एवं नामान्तरकरण नम्बर 211 दिनांक 20.7.2005 में अन्य आराजी जो गैर खातेदारी से खातेदारी में रेस्पोडेन्ट के द्वारा दर्ज करवायी गयी थी एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 18.2.2011 को विभाजन करवाकर उक्त आराजी का नामान्तरण नम्बर 328 तस्दीक करवाया एवं तुलसा बाई, मांगी बाई के द्वारा रोडी बाई के पक्ष में हक त्यागपत्र आलेखित किया गया जिसकी नामान्तरकरण नम्बर 6 रोडी बाई के पक्ष में तस्दीक किया गया, इस प्रकार से उक्त आराजी जो अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत की गयी है के समय समय पर नामान्तरकरण तस्दीक किये गये अपीलन्ट को पूर्ण जानकारी में है । मृतक नारायण का फोती नामान्तरकरण ग्राम मंदरगढ की आराजी में तस्दीक हुआ उसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किये इस कारण अपीलान्ट को उस समय से ही जोधपुरा की आराजी में नामान्तरकरण तस्दीक की जानकारी पूर्ण रूप से रही है । नामान्तरकरण नम्बर 65 सन 1993 में तस्दीक हुआ था, अपीलान्ट को उसी समय से जानकारी में रहा है, इस कारण अपीलान्ट द्वारा अपील में मियाद के संबंध में जो तथ्य मनगढन्त आलेखित किये गये है वह गलत है । अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है । रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त अपील में प्रार्थना पत्र जो कि नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 28.5.1993 की कैम्प पत्रावली तलब किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया था, जिससे उक्त नामान्तरकरण कम संख्या 65 के संबंध में अपीलान्ट के द्वारा जो सहमति दी गयी थी, वह पत्रावली में संलग्न थी एवं मृतक नारायण के द्वारा फोती नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र कैम्प मांदलिया ग्राम पंचायत में दिया गया था, वह भी नामान्तरकरण तस्दीक की पत्रावली के साथ संलग्न है । इस कारण ग्राम जोधपुरा की फोती नामान्तरकरण पत्रावली तलब किया जाना आवश्यक था । अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें एवं रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 28.5.1993 ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा में कुल खसरा 5 की रकबा 3.62 हे0 खातेदारी से अपीलांट की मृतक माता रामनाथी बाई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता नारायण पुत्र भंवरिया के नाम दर्ज थी एवं खसरा नं0 326 की 0.28 हे0, खसरा नं0 488/325 रकबा 0.12 हे0 किता–2 रकबा 0.40 हे0 गैर खातेदारी से नारायण जी के नाम दर्ज थी । नारायण के फोत होने पर वर्णित भूमि का नामान्तरकरण 65 दिनांक 28.5.1993 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 तीनों पुत्रियों के एवं मु0 भूली बेवा नारायण के पक्ष में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलांटगण की मृतक माता का नाम दर्ज नहीं किया गया, जबकि अपीलांटगण की माता मृतक खातेदार नारायण जी की जायन्दा पुत्री थी, इसी आधार पर अन्य गांव मन्दरगढ में नारायण जी की खाता संख्या 59 किता 5 रकबा 2.17 हे0 व खाता संख्या 69 किता 3 की रकबा 6.42 हे0 भूमि में अपीलांटगण का नाम दर्ज है । इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 65 ग्राम जोधपुरा की अपील प्रस्तुत कराने का अपीलांटगण को कानूनी अधिकार होने से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

- यह अपील स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 28.5.1993 के विरूद्व दिनांक 20.11.2025 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । जिसकी प्रथम जानकारी 30.10.2025 रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर आराजी पर आकर अपीलांट्स का उक्त आराजी में नाम नहीं होने तथा उक्त आराजी का बेचान करने

की धमकी देने पर पटवारी हल्का से जानकारी लेने पर होना बताया है । तथा मियाद के शमन के लिये अभिभाषक अपीलांट ने निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये है । RRT 2024 (2) page 1240 जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित किया है कि– "राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956–धारा 135 एवं 84 अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने नामान्तरकरण के विरूद्व लगभग 50 वर्ष के बाद अपील पेश की – अपीलीय न्यायालय ने विलम्ब माफ किया– पैतृक भूमि– सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार– अपील को केवल विलम्ब के आधार पर खारिज करना न्यायोचित नहीं है ।"

- RRT2002(1)page 257 में प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों को बिना सुने पारित किया गया आदेश शून्य माना गया है, जिसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं मियाद का प्रश्न आडे नहीं आता है । आगे यह भी तय किया गया कि अगर कोई आदेश बिना पक्षकार को सूचना दिये पारित किया जाता है तो उसके लिये मियाद जानकारी की तारीख से शुरू होगी । इस प्रकरण में अपीलांटगणों को सूचना दिये बिना ही राजस्व शिविर मांदलिया में यह नामान्तरकरण खोला गया है । यह न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में चस्पा होता है ।
- लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का जवाब वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु अपनी लिखित बहस में नारायण जी का फोती नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 28.5.1993 की पूर्ण जानकारी थी, उसके बाद भूली बाई का फोती नामान्तरकरण नं0 147 दिनांक 22.11.2001 को तस्दीक हुआ एवं नामान्तरकण 211 दिनांक 20.7.200 को अन्य आराजी जो गैर खातेदारी से खातेदारी में रेस्पोडेन्ट के द्वारा दर्ज करवायी गयी एवं 18.02.2011 को विभाजन करवाकर नामान्तरकरण नम्बर 328 तस्दीक करवाया एवं तुलसा बाई, मांगीबाई के द्वारा रोडी बाई के पक्ष में हक त्यागपत्र आलेखित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांटगण को होना बताया है किन्तु नामान्तरकरण संख्या 211, 147 में अपीलांटगण का नाम दर्ज नहीं है ओर ना ही उक्त वर्णित नामांतरकरण में अपीलांटगण को सुना गया है ऐसी स्थिति में इन नामान्तरकरणों की जानकारी अपीलांटगण को होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है ।
- इस प्रकार प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों की रोशनी में हम यह पाते है कि अपीलांटगण को अपीलाधीन नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नहीं होने एवं पिता की सम्पत्ति में अन्य वारिसान के साथ साथ अपीलांटगण का भी अधिकार होने से प्रथम जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद मानी जाती है । पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार होने से मियाद का बिन्दु इतना मायने नहीं रखता है । अतः अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7. अपीलांट के तर्क अनुसार मृतक खातेदार नारायण जी की ग्राम मंदरगढ में स्थित आराजी में नामान्तरकरण संख्या स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 392 में अपीलांटगण का नाम है, तो ग्राम जोधपुरा में भी अपीलांटगण का नाम दर्ज होना चाहिए था । वकील रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि शिविर मांदलिया में अपीलांटगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 65 के संबंध में सहमति दी जाना व घोषणा पत्र कैम्प मांदलिया में प्रस्तुत किया जाना बताया है, किन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण में इसका कोई उल्लेख नहीं है । यदि इस प्रकार की घोषणा की गई थी तो रेस्पोडेन्ट दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पेश करते । रेस्पोडेन्ट द्वारा इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है । इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायिक निर्णय RRT 2013 (2) page 766 में भी प्रतिपादित है कि "धारा 135 केवल पुत्र के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया, पुत्रियों को अधिकार नहीं दिया , प्राईवेट खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में रेफन्स किया । नामान्तरकरण स्वत्व अथवा हित सृजन नहीं करता है, सभी विधिक वारिसान भूमि में हिस्सा के हकदार है, जब तक कि हिस्सा छोड न दिया जाये, रजिस्टर्ड हक तर्कनामा पेश नहीं किया जाये ।" इस प्रकार यह न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में भी पूर्णरूप से चस्पा होता है, अपीलाधीन नामान्तरकरण में खातेदार नारायण जी की तीन पुत्रियों रेस्पो0 नं0 1 से 3 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जबकि अपीलांटगण की माता रामनाथी बाई मृतक खातेदार की पुत्री थी, जो नारायण जी की अन्य उत्तराधिकारियों के साथ बराबर अधिकार रखती है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक दिनांक 28.5.1993 अपास्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं आदेश दिये जाते है कि ग्राम जोधपुरा में मृतक खातेदार नारायण जी के विधिक उत्तराधिकारियों की पूर्ण जांच करते हुए सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुरूप नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करें । पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा में दिनांक 20.04.2026 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा